

**उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)**

आदेश पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
36/021	53, 188 RTA	निपातिधा	६६३१
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
बलराम	बनाम	कालूराम	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
17/6/21	<p>अभिभाषक प्रार्थी द्वारा एक वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी गण के इस न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा प्रतिवादी गणों को जयें सम्मन तलव किया जाकर पत्रावली दिनांक 13/7/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
13/7/21	<p>न्यायालय अधिकारी के अन्य कार्य में धारण होने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में दिनांक 13/7/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i> न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (बारां)</p>	
18/9/21	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रतिवादी गण के वाद तामील समन प्राप्त। नैवपूद सूचना के प्रति अनुपस्थित। उनके विरुद्ध एकरक्षा कार्य नहीं की जाती है। वाद के लिए वादी पत्रावली दिनांक 29/9/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	
25/10/21	<p>प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 शिविर निपातिधा पर पत्रावली पेश हुई। पेशकारान उपस्थित/अनुपस्थित। कार्यवाही नहीं हो सकी। पूर्ववत पत्रावली न्यायालय में दिनांक 28/11/21 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"><i>[Signature]</i></p>	

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश
5-2-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपर। साक्ष्यवादी उपर नहीं है। लगप चाहे है। पूर्व के कई बार अन्तिम ऊबसर दिने जा चुके है। न्यायस्थित के एक ओर अन्तिम ऊबसर दिना जाता है। आपनी कोई भी चीज नहीं दिना जायेगा। साक्ष्यवादी बंड कर दी जायेगी। पत्रावली वाले साक्ष्यवादी दिनांक 12-2-25 को पेश हो।</p>
12-2-25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादी हकपं उपर नहीं है। न्यायालय के एक-दूसरे पर तीव्र कर आवाज लगावाई गई। न्यायालय कार्यवाही स्थगित होने तक इंतजार दिना गजा। कोई उपर नहीं डुपे है। प्रकरण ऊपर हाजरी ऊपर देरवी के खारिज दिना जाता है। पत्रावली पेशल सुनार होकर हाजिर उपर हो।</p>